

(5)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)(1)/(27/92)/अलेसे-III/8063-65

दिनांक :- 14.5.15.

आदेश

श्री नरसिंहराम, कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय आदेश क्रमांक 13181-13194 दिनांक 27.03.2014 द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बन अवधि में राजस्थान सिविल सेवा नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

श्री नरसिंहराम, कनिष्ठ लेखाकार के निलम्बन को 6 माह पूर्ण होने पर उनके आवेदन एवं पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर से प्राप्त पत्र क्रमांक भ्र.नि. ब्यूरो/जालौर/15/518 दिनांक 01.05.2015 के मद्देनजर राजस्थान सेवा नियम 53(1)(a)(i) के अनुसार वर्तमान में मिल रहे निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

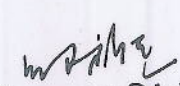
क्रमांक एफ.4(ई)(1)/(27/92)/अलेसे-III/8063-65

दिनांक :- 14.5.15.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, जालौर।
2. श्री नरसिंहराम, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, जालौर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
4. रक्षित पत्रावली/कैलाश शर्मा, लेखाकार (अलेसे-III)।

5. उप निदेशक (सि.प.) (जयपुर लेखा) कोषाधिकारी।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)